तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्रार्थनापत्र/टी.ए./5985/2005/नागौर सरकार बनाम भंवरी	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ
श्री मोहन लाल नेहरा, सदस्य

उपस्थित
श्री राजेन्द्र प्रसाद मीणा, उप राजकीय अधिवक्ता, प्रार्थी
श्री आर.पी. शर्मा, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक 25.04.2019

प्रार्थी ने यह प्रार्थनापत्र धारा 221 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत कर उपखण्ड अधिकारी, परबतसर द्वारा मूल वाद संख्या 171/1996 बउनवानी मु. भंवरी देवी नाम सरकार में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30-05-2000 को आक्षेपित किया जाकर उक्त पारित निर्णय एवं डिक्री को निरस्त कराने का अनुतोष चाहा है।

हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं पारित निर्णय व डिक्री तथा अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों का अवलोकन किया।

धारा 221 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत केवल एवं केवल ऐसे प्रकरण ही लिये जाने चाहिए जहां अन्यथा अनुतोष प्राप्त करने का प्रावधान नहीं हो। राजस्व मण्डल द्वारा उन्हें प्रदत्त अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों अथवा अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों के निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण की शक्तियों का प्रयोग उन आदेशों में गम्भीर अवैधानिकता अथवा अनियमितता होने पर ही किया जाना चाहिए।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में अप्रार्थीगण की ओर से उपखण्ड अधिकारी, परबतसर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्रार्थनापत्र/टी.ए./5985/2005/नागौर सरकार बनाम भंवरी	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	के न्यायालय में प्रस्तुत घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती के मूल वाद संख्या 171/1996 बउनवानी मु. भंवरी देवी नाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 30–05–2000 से डिक्री किया जाकर वादीगण के नाम दर्ज दर्ज खातेदारी भूमि से उनका नाम हटाया जाकर सरकारी भूमि घोषित की तथा मौके पर वादीगण के कब्जे काश्त, मकान बाडे इत्यादित की भूमि खसरा नम्बर 1528 को वादीगण के नाम खातेदारी में दर्ज करने का आदेश पारित करते हुए तहसीलदार, परबतसर को रिकार्ड दुरूस्ती हेतु लिखा गया है। प्रावधित प्रावधानों के अनुसार उपखण्ड अधिकासरी, परबतसर द्वारा पारित इस निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध नियमानुसार अपील प्रस्तुत करने का प्रावधान प्रार्थी राज्य सरकार के पास उपलब्ध है। प्रार्थी ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 221 के तहत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को आक्षेपित किया गया है, जो प्रावधित प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में विधिसम्मत् नहीं है। योग्य अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा उद्धरित न्यायिक दृष्टान्त 2011 आबरीजे (18) पेज 22 एवं 2009 आरआरटी (2) पेज 1094 में इसी आशय का मूलभूत सिद्धान्त प्रतिपादित है। प्रार्थी उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध नियमानुसार अपील प्रस्तुत कर चाहा गया अनुतोष प्राप्त कर सकता है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 221 के प्रार्थनापत्र के माध्यम से कोई अनुतोष प्राप्त नहीं कर सकता। परिणामतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 221 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम संधारण योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है। न्यायहित में प्रार्थी उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध नियमानुसार	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्रार्थनापत्र/टी.ए./5985/2005/नागौर सरकार बनाम भंवरी	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अपील प्रस्तुत कर चाहा गया अनुतोष प्राप्त कर सकता है। निर्णय प्रति नियमानुसार अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(मोहन लाल नेहरा)** **सदस्य**	